न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 11/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/47)

1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण आयु करीब 52 साल निवासी ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ (अलवर)

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजकुमार शर्मा उर्फ राजू पुत्र श्री गोपीचन्द शर्मा जाति ब्राहमण, आयु 45 वर्ष, निवासी 117 सी, गली नंबर 7, साबोली विस्तार, नई दिल्ली–110093
2. कौशल कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपीचन्द शर्मा जाति ब्राहमण, आयु 49 साल, निवासी 223, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट न्यू सीमापुरी, नई दिल्ली 110093
3. कुसुम देवी पुत्री श्री गोपीचन्द शर्मा, जाति ब्राहमण आयु 47 साल, निवासी 1989 गली नंबर 8, यूना मण्डी, पहाडगंज, नई दिल्ली–110055
4. तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार साहब, राजगढ, अलवर।
5. तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ, अलवर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) प्रकरण संख्या 14/2006 प्रकरण उनवानी सत्यनारायण बनाम राजकुमार वगै0 निर्णय दिनांक 09.01.2023 ग्राम राजपुरबडा के संबंध में धारा 135(2) के तहत किया गया है

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 4 व 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –17.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) के निर्णय दिनांक 09.01.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) के समक्ष इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि श्री देवी सहाय पुत्र घासीराम शर्मा निवासी राजपुर बडा तहसील राजगढ फौत हो गया है। मृतक श्री देवीसहाय ने प्रार्थी के हक में एक वसीयतनामा दिनांक 3.12.2014 को तहरीर व तकमील करवार कर अपने हस्ताक्षर गवाहान के समक्ष कर एवं गवाही करा कर निष्पादित कराई थी। वसीयतनामा के आधार पर मृतक श्री देवी सहाय की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी एवं चल अचल सम्पत्ति का प्रार्थी मालिक है उसके हक में वसीयतनामा दिनांक 3.12.2014 के अनुसार मृतक श्री देवीसहाय के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ का इंतकाल प्रार्थी के हक में दर्ज कराया जाकर नियमानुसार तरदीक कराया जावे। तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2023 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थी सत्यनारायण से प्राप्त वसीयतनामा (दिनांक 12.12.2014) अंतिम वसीयत नहीं पाई गई साथ ही विपिन कुमार उपाध्याय के नाम से की गई वसीयत में कोई भी वारिस होना नहीं बताया गया परन्तु पटवारी हल्का रिपोर्टनुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वसीयतकर्ता देवीसहाय पुत्र श्री घासीराम शर्मा निवासी राजपुरबडा के तीन संताने (दो पुत्र एवं एक पुत्री) होना पाया गया। अतः देवीसहाय पुत्र श्री घासीराम शर्मा के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तीन वारिस राजकुमार शर्मा (पुत्र), कौशल कुमार शर्मा (पुत्र) एवं कुसुम देवी (पुत्री) होना उचित प्रतीत होता है।

3. तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) के निर्णय दिनांक 09.01.2023 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) के निर्णय दिनांक 09.01.2023 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने मृतक श्री देवी सहाय के फौत होने पर इंतकाल वसीयतनामा दिनांक 3.12.2014 पर दर्ज कर एवं तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय को वसीयतनामा की जांच करनी चाहिये थी वसीयतनामा को साबित करने लिए अपीलांट ने 17 व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा एक पंचनामा भी इस संबंध में प्रस्तुत किया है जिसमें वसीयतनाम दिनांक 3.12.2014 बखूबी साबित है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजात पर कतई गौर नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामा बाबत एवं मृतक देवी सहाय की चल अचल सम्पत्ति के बारे में पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब की थी परन्तु पटवारी हल्का द्वारा इस संबंध में दिनांक 15.12.22 को मौका पर्चा तहसीदार राजगढ के आदेश क्रमांक 2022/5953 दिनांक 12.12.2022 की पालना में तैयार किया गया जिस पर कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जो पटवारी हल्का ने मनमर्जी से तैयार किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट आदेशिका दिनांक 14.12.22 से तलब की गई जो जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दिनांक 26.12.2022 को तैयार की है। जांच रिपोर्ट दिनांक 26.12.22 में पैतृक आराजी बाबत पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दी है जो रिपोर्ट भी गलत है। मृतक देवी सहाय अपीलांट के साथ निवास करता था तथा राशन कार्ड में भी नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य इस बाबत प्रस्तुत नहीं की। पटवारी हल्का द्वारा मृतक देवी सहाय के वारिसान बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि रेस्पो0 गोपीचंद के लडके–लडकी है तथा नई दिल्ली में निवास करते है। रेस्पो0 की वोटर लिस्ट में पिता का नाम दुलीचंद दर्ज है। रेस्पो0 ने एक दावा अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के यहां मृतक देवी सहाय के विरूद्ध किया था। जिस वाद में देवी सहाय ने रेस्पो0 को अपने पुत्र पुत्री होना अस्वीकार किया बल्कि गोपीचंद की संतान होना बताया है जिससे साबित है कि रेस्पो0 गोपीचंद के वारिसान है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना बताया है उनमें से कुछ व्यक्तियों ने गलत बताया है। मृतक देवी सहाय की रोटी पानी दवा वगैरा की व्यवस्था अपीलांट ही करता था। विवादित आराजी जो मृतक श्री देवी सहाय की है उस पर अपीलांट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। मृतक देवी सहाय के क्रिया कर्म वगैरा सभी सामाजिक कार्य अपीलांट ने किये है मृतक के फूल लेकर अपीलांट गंगाजी गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) का निर्णय दिनांक 09.01.2023 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के नाम मृतक देवी सहाय पुत्र घासीराम शर्मा निवासी राजपुर बडा तहसील राजगढ की विरासत वसीयतनामा दिनांक 3.12.2014 के आधार पर अपीलांट के हक में तस्दीक कराये जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया प्रकरण में आदेश 135(2) होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 1866 स्वीकार हो गया। इस नामान्तरकरण की कोई अपील नहीं की गई। जब नामान्तरकरण की अपील ही नहीं की गई है तो नामान्तरकरण निरस्त करने का प्रश्न ही नही है। सत्यनारायण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार ने जांच हेतु निर्देश जारी किये। रेस्पोडेन्ट इसमें कहीं भी पार्टी नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.12.2022 में पटवारी रिपोर्ट में कहता है कि मैनें गॉव वालों से पूछताछ की तो यह पाया कि देवीसहाय के दो लडके एवं एक लडकी है। दैनिक डायरी में भी इस तथ्य को पटवारी ने दर्ज किया। असली वसीयत उपलब्ध नही है। दूसरी वसीयत वाला व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये है वो ऑथ कमीशनर से तरदीक नहीं कराये गये हैं। शपथ पत्र ऑथ कमीशनर के सामने ही तरदीक होता है। पंचनामा भी अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है। पंचनामे में जो लोग है वे कोई पटेल इत्यादि नहीं ह अत पंचनामे का कोई प्रभाव नही है। ऐसा कोई दस्तावेज है क्या जो यह सिद्ध करता हो कि अपीलान्ट देवीसहाय के वारिस है। तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2023 के अनुसार प्रार्थी सत्यनारायण से प्राप्त वसीयतनामा (दिनांक 13.12.2014) अंतिम वसीयत नहीं पाई गई साथ ही विपिन कुमार उपाध्याय के नाम से की गई वसीयत में कोई भी वारिस होना नहीं बताया गया परन्तु पटवारी हल्का रिपोर्टनुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वसीयतकर्ता देवीसहाय पुत्र श्री घासीराम शर्मा निवासी राजपुरबडा के तीन संताने (दो पुत्र एवं एक पुत्री) होना पाया गया। अतः देवीसहाय पुत्र श्री घासीराम शर्मा के तीन वारिस राजकुमार शर्मा (पुत्र), कौशल कुमार शर्मा (पुत्र) एवं कुसुम देवी (पुत्री) होना उचित माना गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2023 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। विवादित आराजीयात के संबंध में घोषणा खातेदारी का दावा राजस्व न्यायालय में तथा वसीयत के संबंध में दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा अवगत करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह विदित है कि देवीसहाय की पत्नी छटंकी देवी उर्फ केशर देवी, देवीसहाय से दिल्ली नौकरी लग जाने के पश्चात से ही पृथक रही है। अतिरिक्त जिला जज दिल्ली द्वारा पारित तलाक डिक्री दिनांक 09.09.1977 के अनुसार देवीसहाय तथा केशर देवी तलाक के संबंध में जारी निर्णय में शादी का वर्ष 1968 अंकित है जबकि कौशल कुमार पुत्र देवीसहाय के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म की तारीख 07.10.1965 अंकित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरबडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कौशल की जन्म तिथि 06.06.1965 अंकित है। उपरोक्त विवरण में कौशल कुमार द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र संदेहास्पद प्रतीत होता है। निगम प्रतिभा विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कुसुम पुत्री देवीसहाय की जन्म तिथी 02.07.1967 अंकित है। उक्त तिथि भी तलाक डिक्री में अंकित शादी के वर्ष 1968 से पूर्व की है। जहा तक श्री देवीसहाय द्वारा अपनी पत्नी के सेवा परिलाभ मांगे जाने के प्रश्न है। प्रथमतः तो तलाक पश्चात ऐसे सेवा परिलाभ देय नहीं होते हैं फिर भी ऐसे लाभ श्री देवीसहाय द्वारा प्राप्त कर लिये जाने संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात पत्रावली में संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विवेचन उपलब्ध नहीं है। जिस सम्पत्ति की खातेदारी घोषणा तथा वसीयत संबंधी दावे सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन है/रहे है, के संबंध में धारा 135(2) में निर्णय किया जाना प्रथम दृष्टया समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न बिन्दुओं के संबंध में भी कोई विश्लेषणात्मक विवेचन नहीं किया गया है।

1. क्या देवीसहाय की लिखित असहमति तथा वारिसान की जन्म की तिथियां संदेहास्पद प्रतीत हो जाने के बावजूद बिना सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार तय करवाये विवादित भूमि का नामान्तरकरण धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत खोला जाना विधिवत अथवा नहीं ?

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. क्या पैतृक सम्पत्ति की ऐसी वसीयत जिसको सक्षम न्यायालय मे चुनौति दी जा चुकी है, के निर्णय पूर्व धारा 135(2) के अन्तर्गत नामान्तरकरण खोला जाना विधिवत है अथवा नहीं ?

अतः प्रकरण में उत्तराधिकार के बिन्दु तथा वसीयत की वैधानिकता को सक्षम न्यायालय द्वारा तय किये बगैर विवादित आराजीयात के संबंध में धारा 135(2) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही निरस्त की जानी अपेक्षित है। अतः अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) का निर्णय दिनांक 09.01.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (अलवर) को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार तथा वसीयत पर अंतिम निर्णय होने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर